आदेश

जनपद अल्मोड़ा में देघाट–तल्ली नारायण मंदिर–मालभीड़ा–धारकोट–सेरामुनानी–मालीखेत–नागचूलाखाल, मोटर मोटर मार्ग के निर्माण से प्रभावित होने वाली 5.2731 है0 वन भूमि के सापेक्ष क्षतिपूरक–वृक्षारोपण हेतु दोगुनी क्षेत्रफल की कुल 10.55 है0 सिविल भूमि को नियमानुसार वन विभाग के प्रशासनिक नियन्त्रण में हस्तान्तरित/नामान्तरित किये जाने के सम्बन्ध में राजस्व अनुभाग–2,उत्तराखण्ड शासन, देहरादून के शासनादेश संख्या–2173/XVIII(II)/2012-18(120)/2010, दिनांक 17 दिसम्बर, 2012 के द्वारा निर्गत निर्देशों के अनुपालन में तथा याचक विभाग, अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग,रानीखेत के अनुरोध के कम में उप जिलाधिकारी, भिकियासैंण द्वारा अपने पत्र संख्या 1306/विविध/2023, दिनांक 26–09–2023 से प्राप्त प्रस्ताव/आख्या संस्तुति के साथ निम्नवत: अभिलेखों सहित क्षतिपूरक–वृक्षारोपण हेतु चयनित की गयी भूमि की संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट, खतौनी,खसरा एवं नक्शा एवं भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, 25 सुभाष रोड, देहरादून के आदेश संख्या 08बी./यू.सी.पी./06/27/2017/एफ.सी./ 1894 दिनांक 03–12–2020 के द्वारा निर्गत सैद्धान्तिक स्वीकृति के आधार पर क्षतिपूरक– वृक्षारोपण हेतु ग्राम कफलगैर राजस्व उप निरीक्षक क्षेत्र पयलगांव तहसील स्याल्दे, जिला अल्मोड़ा के गै0ज0वि0ख0खा0संख्या 00006 श्रेणी 9(3)ड. बंजर काबिल आबाद में दर्ज है, के खसरा संख्या 1849 रकवा 1.592 है0, खसरा संख्या 1850 रकवा 0.827 है0, खसरा संख्या 1851 रकवा 0.018 है0, खसरा संख्या 1880 रकवा 4.614 है0, खसरा संख्या 1881 रकवा 0.781 है0, खसरा संख्या 1882 रकवा 0.325 है0, खसरा संख्या 3129 मध्ये रकवा 0.386 है0, खसरा संख्या 3166 रकवा 0.055 है0, खसरा संख्या 3177 रकवा 0.086 है0, खसरा संख्या 3178 रकवा 0.080 है0, खसरा संख्या 3184 रकवा 1.620 है0, खसरा संख्या 3185 रकवा 0.166 है0 इस प्रकार कुल 10.55 है0 भूमि सिविल भूमि को क्षतिपूरक–वृक्षारोपण हेतु वन विभाग के प्रशासनिक नियन्त्रण मे हस्तान्तरित/नामान्तरित की जाती है। तहसीलदार, स्याल्दे तदनुसार ही राजस्व अभिलेखों में अमलदरामद करने उपरान्त खतौनी नकल की प्रति प्रभागीय वनाधिकारी, वन प्रभाग, अल्मोड़ा को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें।

दिनांक 05 अक्टूबर,2023

(विनीत तोमर)
जिलाधिकारी, अल्मोड़ा।

कार्यालय जिला अधिकारी, अल्मोड़ा।

संख्या–145 /ग्यारह–02 /2023–24 दिनांक: 09 अक्टूबर,2023

प्रतिलिपि: निम्नाकिंतों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– प्रभागीय वनाधिकारी, अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा।
2– अधीक्षण अभियन्ता, प्रथम वृत्त, लोक निर्माण विभाग, अल्मोड़ा ।
3– उप जिला अधिकारी, भिकियासैंण, जनपद अल्मोड़ा।
4– तहसीलदार, स्याल्दे।
5– अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, रानीखेत।

(विनीत तोमर)
जिलाधिकारी, अल्मोड़ा।

Scanned with OKEN Scanner

संयुक्त निरीक्षण

आज दिनांक 22-08-2023 को जनपद अल्मोड़ा के केदार-नौली नारायण मन्दिर धारकोट – सैराघुनानी – भालभोड़ा – मालीखेत – नागचूलाखाल मोटर मार्ग हेतु सीमांकन क्षतिपूरक वृक्षारोपण बाबत ग्राम कफलगाँव पटवारी क्षेत्र पभ्यागाँव तहसील स्याल्दे में प्रभागीय वनाधिकारी अल्मोड़ा वन प्रभाग अल्मोड़ा के कार्यालय पत्रांक संख्या 496/12-1 (2) दिनांक 18-08-2023 के अनुपालन में वन विभाग, राजस्व विभाग तथा लोक निर्माण विभाग के प्रतिनिधियों के साथ ग्राम कफलगाँव के पूर्व — नामित स्थानों पर भूखण्डों का सीमांकन कर पक्के चौड़े के रंग लगाकर गया। अतः क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु भूमि का सीमांकन आख्या सादर सेवा में प्रेषित है।

गोविन्द सिंह कनवाल
ग्रामीण
प्रा० सं० लो० नि० वि० रानीखेत

जीत सिंह रावत
उप वनक्षेत्राधिकारी
तामाढौन

गिरीश कुमार
राजस्व उपनिरीक्षक
पभ्यागाँव

22-08-2023
भवान सिंह रावत
वन बीट अधिकारी
तोतन भगरी

22/08/23
गोविन्द वल्लभ भट्ट
सहायक अभियन्ता
प्रा० खण्ड लो० नि० वि०
रानीखेत

महेन्द्रपाल कनौजा
अपर सहायक अभियन्ता
प्रा० खण्ड लो० नि० वि०
रानीखेत

खतौनी नकल गैर ज०वि० ग्राम- काफलगैर रा०उ०नि० क्षेत्र- पपलगाँव तह- स्याल्दे जिला- अल्मोड़ा

			२११६	०.०५५	[illegible]
			२६५५	०.०३५	-"-
			२६९८	०.०३५	-"-
			२६११	०.०१५	-"-
			२१४२०	०.०६१	-"-
			२१४२१	०.००४	-"-
		योग	१०	०.२००	[illegible]
४	रतनसिंह, मानसिंह पुत्र आनसिंह, जानकादेवी पत्नी गंगादत्त, बचीसिंह हि० बा० नि० ग्राम स्वयं	खा०सा० के०	२०६८	०.०९८	[illegible]
		योग	१	०.०९८	०.१५
५	हरीदत्त, गंगादत्त पुत्र जयदेव नि० ग्राम स्वयं	खा०सा० के०	२९८८	०.०१८	[illegible]
			२९८९	०.०१६	-"-
		योग	२	०.०३४	०.२८
	योग श्रेणी ५		२५	०.६३३	

तालाब ०.०५३
आबाद - ०.४८४
योग ०.६३३

श्रेणी [५] भूमि जो काश्तकारों के अधिकार में हो श्रेणी [६] गैर काश्तकार कब्जेदार आदि ---- कोई नहीं

योग श्रेणी १ से ६ तक २५ ०.६३३

तालाब ०.१५३
आबाद ०.४८४
योग ०.६३३

श्रेणी [९] खाते के बाहर की कृषि योग्य बंजर भूमि।

श्रेणी [९] १ नये पत्ते से श्रेणी ९ (३) क - २ ... आदि की फसल न बोई जाती हो ---- कोई नहीं

श्रेणी ९ (३) कृषि योग्य बंजर भूमि:—

६ बंजर [illegible]	१	०.३५१	कुरकौर
	३	०.१२८	-"-
	३५	०.०२१	-"-
	३६	०.०११	-"-
	३८	०.०५०	-"-

[illegible] १९-१०-२३
राजस्व उप निरीक्षक
क्षेत्र- पपलगाँव
तहसील स्याल्दे (अल्मोड़ा)

१८८१	०.६८१	[illegible]
१८८५	०.३२५	रु
१८८४	०.५४८	रु
१८५०	०.०२८	रु
१८५२	०.२४४	रु
१८५४	१.३२६	[illegible]
१८५५	०.०४४	रु
१८५६	०.०२५	रु
१८५८	०.००६	रु
१८३२	०.०२१	रु
१८३४	०.०५०	रु
१८३६	०.०२४	रु
१८६०	०.०२५	रु
१८६४	०.०९०	रु
१८६६	०.०७०	रु
१८८८	०.२०८	रु
१८९०	०.०३४	रु
१८९२	०.१०४	[illegible]
१८९५	०.०१६	रु
१८९९	०.००७	[illegible]
२००१	०.०५०	रु
२००३	०.१६०	रु
२००५	०.०४६	रु
२०१६	०.०१५	रु
२०३५	०.१३४	रु
२०३६	१.०११	रु
२०८०	०.०६०	[illegible]
२०८१	०.०४५	रु
२०९१	०.०२४	रु

श्रीमान जिला अधिकारी [illegible] के आदेश सं- [illegible] आर्इ-०२/२०२३-२४ दिनांक [illegible] को मुताबिक [illegible] खसरा सं. १८५१ रकबा [illegible] खसरा सं. [illegible] रकबा ०.३२७, खसरा सं. १८९३ रकबा ०.०१८, खसरा सं. १८८० रकबा ०.६१५, खसरा सं. १८८१ रकबा [illegible], खसरा सं. १८८२ रकबा ०.३२५ खसरा सं. [illegible] रकबा ०.३८६ खसरा सं. ३१८६ रकबा ०.०२२ खसरा सं. [illegible] रकबा ०.०८६, खसरा सं. ३१४४ रकबा [illegible], खसरा सं. ३१८५ रकबा ०.६२० खसरा सं. ३१८८ रकबा ०.८६ है। इस प्रकार कुल १०.८४ हे. भूमि को प्रतिपूरक वनरोपण हेतु वन विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में हस्तान्तरित/नामान्तरित किये जाने बाबत आदेश दर्ज किया।

रा. उ. नि.
[illegible]
17-10-23

92